



CIN - U40108CT2003SGC015820

दूरभाष PHONE: 0771- 2574172,
Web Site: sldecg.com

CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर

Established under section 31 of EA-2003, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31 के अंतर्गत स्थापित.

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित

(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

फैक्स FAX NO. 0771-2574174.

email-csebslde@gmail.com

No. 03-02/SLDC/PET/67/2016(T)/ PUB/ 1868

Raipur Dated

22 DEC 2016


PUBLIC NOTICE.

In compliance to the relevant provisions of the Electricity Act-2003 and the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015, Chhattisgarh State Load Despatch Center has submitted a Petition No.67/2016(T) for "Provisional True-up for FY 2015-16 of CSLDC". The Annual SLDC Charges excluding Revenue Surplus/ (Deficit) are as under:-

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE		
क्र. Sr. No	विवरण/ Particulars	(राशि करोड़ रुपये में) (figures in Crores)
1	छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र के वित्तीय वर्ष /FY 2015-2016 के वार्षिक राजस्व का प्रस्तावित डू-अप (सरप्लस/घाटा छोड़कर) Provisional True-up of the Annual SLDC Charges for FY16 excluding Revenue Surplus/ (Deficit)	12.17

Copies of the petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and State Load Despatch Center Office at Dangania, Raipur, which can be purchased on any working day on payment of Rs. 150/-. The same may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs. 50/-. Copy of this notice and the petition are also available on website www.sldecg.gov.in and www.cserc.gov.in.

Objections/suggestions relating to the petition may sent to the office of Chief Engineer, SLDC at Dangania, Raipur, and/or Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Regulation Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. Objections /comments may also be sent through Fax to CSERC at Fax No. 0771-4073553. The Commission may give a chance to the persons filing the objections/suggestions to participate in hearing. Date and place of hearing shall be published by CSERC in the newspaper separately.


Chief Engineer
SLDC, CSPTCL Raipur

**CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR**

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर

Established under section 31 of EA-2003, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31 के अंतर्गत स्थापित.

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित

(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

CIN - U40108CT2003SGC015820

दूरभाष PHONE: 0771- 2574172,

Web Site: sldccg.com

फैक्स FAX NO. 0771-2574174.

email-csehsldc@gmail.com

No. 03-02/SLDC/PET/67/2016(T)/ PUB/ 1868

Raipur Dated 22 DEC 2016

आम-सूचना

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के (बहुवर्षीय टैरिफ संबंधित विषयक के सिद्धांत के अनुरूप टैरिफ निर्धारण) विनियम 2015 के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 के वार्षिक राजस्व का प्रस्तावित डू-अप (सरप्लस/घाटा छोड़कर) की याचिका क्रमांक 67/2016(T) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के वार्षिक राजस्व का प्रस्तावित डू-अप (सरप्लस/घाटा छोड़कर) का विवरण निम्नानुसार है:-

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE		
क्र Sr. No	विवरण/ Particulars	(राशि करोड़ रुपये में) (figures in Crores)
1	छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र के वित्तीय वर्ष /FY 2015-2016 के वार्षिक राजस्व का प्रस्तावित डू-अप (सरप्लस/घाटा छोड़कर) Provisional True-up of the Annual SLDC Charges for FY16 excluding Revenue Surplus/ (Deficit)	12.17

उपरोक्त याचिका की प्रतियाँ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर के कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र, डंगनिया, रायपुर के मुख्यालय में उपलब्ध हैं. याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवस में रु 150/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है. याचिका की प्रति रु 50/- (डाक-व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कास डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है. याचिका की प्रति वेबसाइट www.cserc.gov.in तथा www.sldccg.com पर भी उपलब्ध है.

उपरोक्त याचिका पर आपति/ सुझाव प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक पक्षकार अपनी आपति/ सुझाव इस आम सूचना के जारी होने के 21 दिन के भीतर मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र, डंगनिया, रायपुर और / अथवा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, न्यू शांति नगर, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है. सुझाव/ आपतियों की प्रति फैक्स द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के फैक्स नंबर 0771-4073553 पर भेजी जा सकती है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग आपति/ सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारोंको अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है. सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी.

22
मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र,
छ.रा.वि.पा.कं.मर्या, डंगनिया, रायपुर-13